159

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1277–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2017 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 300/अपील/2013–14.

1– श्याम किशोर पिता स्व. शिवदयाल प्रजापति
2– राकेश पिता शिवदयाल प्रजापति
3– राजेश प्रजापति पिता स्व. शिवदयाल प्रजापति
निवासीगण जयप्रकाश वार्ड
प्रजापति ट्रांसफार्मर के पास
गर्ग कॉलौनी बैतूल तहसील व जिला बैतूल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– सचिन कुमार सोनी पिता नंदकिशोर सोनी
2– नितीन कुमार सोनी पिता नंदकिशोर सोनी
निवासीगण बैतूल गंज हाउसिंग बोर्ड कॉलौनी
टैगोर वार्ड बैतूल तहसील व जिला बैतूल .....अनावेदकगण

श्री अमित गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 20/3/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय बैतूल के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बटामा तहसील बैतूल स्थित भूमि सर्वे कमांक 17/4 रकबा 1.627 का सीमांकन कराये जाने पर उक्त भूमि में से रकबा 0.425 हेक्टेयर पर आवेदक कमांक 2 का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा हटाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण 17/अ–70/2010–11 दर्ज कर दिनांक 26–9–2012 को आदेश पारित किया जाकर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा

दिनांक 26–7–2014 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर आवेदक का कब्जा हटाया जाकर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदकगण को सौपे जाने का आदेश दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 30–3–2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण के पिता स्वयं राजस्व निरीक्षक हैं और उनके द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर दुराशयपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(2) अनावेदकगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 25–4–1980 से मात्र 1.626 हेक्टेयर भूमि की गई है, अतः रकबा 1.627 हेक्टेयर पर अनावेदकगण का नाम कैसे दर्ज किया गया है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि की चर्तुसीमा विक्रय पत्र में नहीं दर्शायी गई है, तब सर्वे कमांक 17 के पूर्व दिशा में लगे हुए रास्ते की भूमि का नक्शा कैसे तैयार करवा लिया गया ।

(4) सीमांकन हेतु सूचना पत्र में दिनांक 10.6.10.10 है, जबकि कलेण्डर में ऐसी कोई तारीख होती ही नहीं है ।

(5) सूचना पत्र में 12 लोगों के नाम दर्ज हैं, परन्तु सभी व्यक्तियों को सूचना पत्र की तामीली नहीं हुई है, जो कि संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के विपरीत है ।

(6) पंचनामा में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण द्वारा कब्जा किये जाने का उल्लेख नहीं है ।

(7) सीमांकन दिनांक 10–6–2010 को कोई सीमांकन प्रतिवेदन तैयार नहीं किया जाकर डेड़ माह बाद दिनांक 25–8–2010 को सीमांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जो कि अपने आप में संदिग्ध है ।

(8) सीमांकन पंचनामा में चारों दिशाओं का कोई उल्लेख नहीं है एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है और राजस्व निरीक्षक द्वारा सड़क को मानकर सीमांकन किया गया है ।

(9) सम्पूर्ण कार्यवाही एवं स्थल पंचनामा अनुसार विभिन्न खसरा नम्बरों की भूमि का नक्शे के अनुसार मौके पर मिलान में अंतर है एवं नक्शा त्रुटिपूर्ण होना राजस्व निरीक्षक ने स्वयं स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत बेदखली का आदेश दिया जाना अन्यायपूर्ण कार्यवाही है ।

(10) प्रश्नाधीन भूमि पर 4–5 साल पूर्व से अतिक्रमण किया जाना अनावेदकगण की जानकारी में था, इसलिए संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 2016 आर.एन. 34, 2013 आर.एन. 28, 2009(2) एम.पी.एल.जे. 429, 2005 आर.एन. 33, 2006 आर.एन. 218(उच्च न्यायालय), 1997 आर.एन. 353, 2016 आर.एन. 267, 1998 आर.एन. 16 एवं 1992(1) एम.पी.वीकली नोट्स 163 (उच्च न्यायालय) के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषकों द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार उठाये गये हैं कि संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में सीमांकन में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । यह आधार भी उठाया गया है कि आवेदकगण द्वारा सीमांकन कार्यवाही को चुनौती नहीं दिये जाने से वह अन्तिम हो गया है । लिखित तर्क में यह भी आधार उठाया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया है, इसलिए कब्जा नहीं हटाने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । यह आधार भी लिया गया है कि दोनों अपीलय न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। तर्कों के समर्थन में 2005 आर.एन. 178, 2001 आर.एन. 75, 2001 आर.एन.76 (उच्च न्यायालय), 1998 आर.एन. 192, 1997 आर.एन. 92 एवं 1994 आर.एन. 237 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न सीमांकन हेतु जारी सूचना पत्र को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक पक्ष सहित हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना पत्र की तामीली कराई जाकर उपस्थित पंचों के समक्ष विधिवत सीमांकन किया गया है, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक पक्ष का अवैध कब्जा पाया गया है । उक्त सीमांकन के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना अभिलेख से

परिलक्षित नहीं होता है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को आवेदक पक्ष को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल कर अनावेदक पक्ष को कब्जा वापिस करना चाहिए था, क्योंकि संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन के वैधता पर विचार नहीं किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में 2005 आर.एन. 178 अमरीबाई विरूद्ध मांगीलाल में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:–

"धारा 129–तथा 250–धारा 250 के अधीन कार्यवाही सीमांकन का मामला धारा 129 के अधीन पूर्व में विनिश्चित–इसमें आक्षेपित नहीं किया जा सकता है ।"

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विस्तृत विवेचना उपरांत विधिसंगत आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है । इस प्रकार दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किया गया है । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप व अन्य में निम्नलिखित न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया :–

"धारा 50–समवर्ती निष्कर्ष–अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं–पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

इसी प्रकार 2005 आर.एन. 178 अमरीबाई विरूद्ध मांगीलाल में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:–

"धारा 50–निचले दो न्यायालयों के समरूप निष्कर्ष–पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।"

उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । अतः दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित हस्तक्षेप नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर